nwda.gov.in

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार (जल संसाधन तथा नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग)

नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति की अठारहवीं बैठक के कार्यवृत्त (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 07 दिसंबर, 2020 को आयोजित) नई दिल्ली

नई दिल्ली

दिनांक 07.12.2020 को नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति की 18वीं बैठक का कार्यवृत्त पूर्वाह्न 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया।

नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति (एससीआईएलआर) की 18 वीं बैठक 07.12.2020 को जल शक्ति राज्य मंत्री और राजविअ सोसाइटी के उपाध्यक्ष श्री रतन लाल कटारिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक - I** पर है।

सबसे पहले, सचिव , जल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन तथा नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग श्री यू.पी. सिंह ने माननीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, विभिन्न राज्यों के माननीय मंत्रियों, विशेष समिति के सभी सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि अपरिहार्य कारणों से माननीय जल शक्ति मंत्री और नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति (एससीआईएलआर) के अध्यक्ष बैठक में भाग नहीं ले सके, इसलिए माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में, माननीय राज्य मंत्री,जल शक्ति मंत्रालय श्री रतन लाल कटारिया ने बैठक में उपस्थित राज्यों के माननीय मंत्रियों जिसमे उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉ महेन्द्र सिंह, बिहार सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, राजस्थान सरकार के आईजीएनपी के माननीय मंत्री श्री उदयलाल अंजना, माननीय जल संसाधन राज्य मंत्री श्री राम किशोर कावरे, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय जल संसाधन राज्य मंत्री के अलावा समाज के सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया ।

माननीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी शुरुआती टिप्पणी में जोर देकर कहा कि नदियों को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम देश की जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह पानी की कमी, सूखा प्रवण और वर्षा सिंचित कृषि क्षेत्रों को पानी प्रदान करने में बहुत सहायक होगा । उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों की सहमति और सहयोग के साथ आईएलआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय मंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और कहा कि यह परियोजना उनकी दृष्टि, सपना और व्यक्तिगत रूप से उनके लिए बहुत प्रिय थी।

माननीय मंत्री जी ने अंतर-राज्यीय नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की डीपीआर और पीव्यवहार्यता रिपोर्ट/व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने में राजविअ द्वारा की गई प्रगति के बारे में जानकारी दी । उन्होंने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए अधिकांश मंजूरियां प्रदान की गई हैं और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के बीच कमजोर मौसम के दौरान जल बंटवारे पर आम सहमति जैसे कुछ छोटे-छोटे फैसलों को दोनों राज्यों के परामर्श और सहयोग से जलस्थगित कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय आईएलआर कार्यक्रम को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने केन- बेतवा लिंक परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें कीं। उन्होंने केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए मुद्दों को सुलझाने और समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए दिनांक 22.09.2020 को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जल संसाधन / जल शक्ति मंत्रियों के साथ एक बैठक की। इसी प्रकार, पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना में जल बंटवारे पर भी चर्चा चल रही है।

मंत्री महोदय ने नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी सदस्यों, विशेषरूप से संबंधित राज्य सरकारों से सहयोग और सहायता का आग्रह किया।

तत्पश्चात्, सचिव, जल शक्ति मंत्रालय ,जल संसाधन एवं नदी विकास गंगा संरक्षण विभाग ने बैठक में उपस्थित विभिन्न राज्यों के जल शक्ति/जल संसाधन मंत्रियों को उनकी टिप्पणियों के लिए आमंत्रित किया।

उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉ महेन्द्र सिंह ने आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार के साथ सहयोग करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य के जल सूखे बुन्देलखण्ड क्षेत्र की लंबी आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन की आशा कर रहा है। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देते समय, वर्ष 2005 के समझौते का पालन किया जाना चाहिए।

बिहार सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार राज्य द्वारा प्रस्तावित अंतर-राज्यीय लिंकों पर अपने विचार साझा करते हुए बूढ़ी गंडक-नून-बया-गंगा लिंक पर प्राथमिकता के आधार पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक

परियोजना के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दी गई निवेश मंजूरी के लिए धन्यवाद दिया और बिहार की अंतर-राज्यीय लिंक परियोजनाओं को 90 (केंद्र): 10 (राज्य) पर वित्तपोषण पैटर्न के साथ राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि बिहार के उन अंतर-राज्यीय लिंकों की एक बार फिर समीक्षा की जानी चाहिए जो राजविअ द्वारा व्यवहार्य नहीं पाए गए हैं।

सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन तथा नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने जवाब दिया कि बिहार सरकार के अनुरोध पर जहां तक संभव हो सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 90 (केंद्र): 10 (राज्य) का वित्तपोषण पैटर्न वर्तमान में केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों पर ही लागू है।

मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन राज्य मंत्री श्री राम किशोर कावरे ने कहा कि केबीएलपी पर मध्य प्रदेश राज्य के विचारों से केन्द्र सरकार को पहले ही अवगत करा दिया गया है। उन्होंने सांसद के विचारों पर विचार करने और परियोजना को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। पार्वती-कुनो-सिंध लिंक परियोजना के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य के विचारों पर विचार किया जा सकता है और लंबित मुद्दों को हल किया जा सकता है।

सचिव , जल शक्ति मंत्रालय ,जल संसाधन तथा नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने जवाब दिया कि प्रारूप समझौता ज्ञापन को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के विचारों / टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया है और पार्टी राज्यों को भेजा गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संशोधित समझौता ज्ञापन दोनों राज्यों को स्वीकार होगा और इस पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। कुछ छोटे-मोटे मुद्दों को कार्यान्वयन के बाद परियोजना की विनियमन समिति द्वारा भी संबोधित किया जा सकता है।

राजस्थान सरकार के आईजीएनपी के माननीय मंत्री श्री उदयलाल अंजना ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना लगभग 20 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र की सिंचाई के अलावा पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना की डीपीआर 35000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के लिए तैयार की गई थी और इसे केंद्र सरकार को भेजा गया था। उन्होंने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विचार करने का अनुरोध किया। कम वर्षा/शुष्क क्षेत्र आदि के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान

राज्य को लाभ पहुंचाने के लिए शारदा-यमुना, यमुना-राजस्थान और राजस्थान-साबरमती लिंक परियोजनाओं के हिमालयी लिंकों की डीपीआर युद्ध स्तर पर शुरू की जानी है। उन्होंने अनुरोध किया कि केंद्र सरकार को संबंधित राज्यों के साथ इन परियोजनाओं के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए और इसे तेजी से हल करना चाहिए।

सचिव , जल शक्ति मंत्रालय ,जल संसाधन तथा नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने बताया कि शारदा-यमुना लिंक परियोजना पहले नेपाल में महाकाली नदी के पानी के आधार पर प्रस्तावित की गई थी और अब यह नेपाल क्षेत्र में प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना से निस्सरण पर निर्भर करती है। इसलिए, यमुना-राजस्थान और राजस्थान-साबरमती लिंक परियोजनाओं के अध्ययन में पंचेश्वर परियोजना के परिणामों के आधार पर संशोधन किए जाएंगे। पंचेश्वर परियोजना पर नेपाल के साथ अधिकांश मुद्दों को सुलझा लिया गया है। कुछ छोटे-मोटे मुद्दों को सुलझाया जा रहा है। पंचेश्वर परियोजना की डीपीआर के आधार पर इन लिंकों की व्यवहार्यता रिपोर्टों में संशोधन किया जा रहा है।

इस पर टिप्पणी करने के बाद सचिव, जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन तथा नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग , ने महानिदेशक, राजविअ से एजेंडा मदों को शुरू करने का अनुरोध किया।

मद संख्या 18.1: नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति की दिनांक 26.02.2020 को आयोजित 17 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

महानिदेशक, राजविअ ने सूचित किया कि दिनांक 26.02.2020 को आयोजित एससीआईएलआर की 17 वीं बैठक दिनांक 24.04.2020 के पत्र के माध्यम से समिति के सभी सदस्यों को परिचालित की गई थी।

तमिलनाडु, केरल, गुजरात और कर्नाटक सरकार से टिप्पणियां 17वीं बैठक के कार्यवृत्त पर प्राप्त हुई हैं।

तमिलनाडु सरकार ने वैकल्पिक गोदावरी-कावेरी लिंक की डीपीआर को शीघ्र अंतिम रूप देने और पलार को पार करके कट्टालाई तक उच्च ऊंचाई पर लिंक शुरू करने का अनुरोध किया है।

तमिलनाडु ने पंबा-अचनकोविल-वैप्पर लिंक की डीपीआर तैयार करने में तेजी लाने का भी अनुरोध किया है।

केरल सरकार ने महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-गुंडर-वैगई लिंकों पर आपत्ति जताई क्योंकि इससे कावेरी बेसिन में जल संतुलन बदल जाएगा। केरल को भी इन लिंक प्रणाली का लाभ उठाना चाहिए। केरल ने तमिलनाडु की मांग के अनुसार पंबा-अचनकोविल-वैप्पर लिंक की डीपीआर तैयार करने पर भी आपत्ति जताई। इसकी डीपीआर तैयार करने का कार्य केरल की सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए।

कर्नाटक सरकार ने कावेरी- वैगई-गुंडर लिंक की प्रति मांगी है। कर्नाटक को प्रस्तावित गोदावरी-कावेरी लिंक से कृष्णा, कावेरी और पेन्नार बेसिनों में भी लाभान्वित किया जाना चाहिए। कर्नाटक ने पोन्नैयार-पलार लिंक की डीपीआर में बैंगलोर शहर के सीवेज से पानी के पुनरुत्थान पर विचार नहीं करने पर भी जोर दिया।

गुजरात सरकार ने पीटीएन जलग्रहण क्षेत्र में अपने योगदान के बदले तापी बेसिन में 400 एमसीएम पानी के महाराष्ट्र के अनुरोध पर विचार न करने का अनुरोध किया है।

तमिलनाडु, केरल, गुजरात और कर्नाटक की उपर्युक्त टिप्पणियों के उत्तर पहले ही संबंधित राज्यों को क्रमशः दिनांक 24.07.2020, 24.08.2020, 22.10.2020 और 22.10.2020 के पत्रों के माध्यम से भेजे जा चुके हैं। महानिदेशक, राजविअ ने आगे बताया कि एससीआईएलआर की 16 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर तमिलनाडु सरकार की आगे की टिप्पणियां, जिनका उत्तर पहले राजविअ द्वारा दिया गया था, उनका उत्तर भी दिनांक 19.08.2020 के पत्र द्वारा उत्तर दिया गया है।

दिनांक 24.07.2020 के पत्र के माध्यम से राजविअ के जवाबों पर, तमिलनाडु सरकार की आगे की टिप्पणियों का भी राजविअ द्वारा दिनांक 27.11.2020 को जवाब दिया गया है। सदस्यों से कोई अन्य टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। एससीआईएलआर की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि परिचालित के रूप में की गई थी।

मद संख्या 18.2: वर्ष 2020- 21 के लिए कार्यों का कार्यक्रम

महानिदेशक, राजविअ ने वर्ष 2020-21 के लिए कार्य कार्यक्रम को कार्यसूची में दिए जाने के रूप में प्रस्तुत किया। प्राथमिकता वाले लिंकों जैसे केन-बेतवा, दमनगंगा-पिंजाल, पार-तापी-नर्मदा

लिंक परियोजनाओं की डीपीआर के बाद की गतिविधियां वर्तमान में की जा रही हैं। शेष स्वीकृतियां प्राप्त करने, उत्तर प्रदेश की ओर से अभिज्ञात भंडारण स्थलों के लिए अतिरिक्त सर्वेक्षण, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पार्टी राज्यों के बीच आम सहमति बनाने के प्रयास जैसे कार्यकलाप केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए किए जा रहे हैं। दमनगंगा के लिए -
पिंजाल और पार-तापी-नर्मदा लिंक, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए पार्टी राज्यों के बीच आम सहमति बनाने का कार्य प्रगति पर है।

महानिदेशक, राजविअ ने यह भी सूचित किया कि गोदावरी- कृष्णा, कृष्णा- पेन्नार और पेन्नार-कावेरी लिंक परियोजना को शामिल करते हुए गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना का प्रारूप डीपीआर, जिसे मार्च, 2019 में परिचालित किया गया था, वर्तमान में अंतिम रूप दिया जा रहा है और डीपीआर के बाद की गतिविधियों जैसे आम सहमति निर्माण, प्रारंभिक मंजूरी आदि को अंतिम रूप दिया जाएगा।

महानिदेशक ,राजविअ ने यह भी सूचित किया कि कावेरी-वैगई लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया गया है और पार्टी राज्यों के बीच परिचालित कर दिया गया है।

महानिदेशक, राजविअ ने बताया कि कोसी-मेची लिंक परियोजना की निवेश मंजूरी निवेश मंजूरी समिति द्वारा 22.10.2020 को आयोजित अपनी बैठक में प्रदान की गई थी।

महानिदेशक, राजविअ ने यह भी बताया कि कर्नाटक के बेदती-वरदा लिंक, दमनगंगा-वैतरणा-गोदावरी और दमनगंगा (एकदारे) - महाराष्ट्र की गोदावरी लिंक परियोजनाओं की डीपीआर प्रगति पर है और लक्ष्य के अनुसार पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना नामत: पार्वती- कुनो-सिंध लिंक परियोजना के साथ पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक के एकीकरण की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट जून 2020 में तैयार की गई थी और इसे मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों और केन्द्रीय जल आयोग को परिचालित किया गया था। एक बार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ वैकल्पिक पीकेसी के एकीकरण पर आम सहमति बन जाने के बाद, राजविअ ने तुरंत अपनी डीपीआर शुरू करने की योजना बनाई है।

व्यवहार्यता रिपोर्ट के मामले में, महानिदेशक, राजविअ ने सोसायटी के सदस्यों को सूचित किया कि मानस-संकोश-तिस्ता-गंगा (एमएसटीजी), महानदी (बरमुल)- गोदावरी (दौलेश्वरम) और फरक्का-सुंदरवन लिंक परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई हैं और सभी पार्टी राज्यों को परिचालित कर दी गई हैं। गंगा (फरक्का) - दामोदर - सुवर्णरेखा, सुबरनरेखा - महानदी की व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

शारदा-यमुना लिंक परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट, जिसे पहले ही तैयार किया जा चुका है, नेपाल में पंचेश्वर परियोजना की जल उपलब्धता को शामिल करते हुए संशोधन के अधीन है।

उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष 6 (छः) जल संतुलन अध्ययनों को संशोधित और परिचालित किया गया है और लक्ष्य के अनुसार शेष जल संतुलन अध्ययनों में संशोधन पूरा करने की योजना है।

महानिदेशक, राजविअ ने सूचित किया कि राजविअ ने विभिन्न परिदृश्यों को उत्पन्न करने/उनका विश्लेषण करने के लिए विभिन्न लिंकों का प्रणाली अध्ययन भी शुरू किया है। महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना का प्रणाली अध्ययन राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की को पहले ही सौंपा जा चुका है जो लिंक परियोजना द्वारा भूजल पुनर्भरण/जलवायु परिवर्तन आदि के प्रभावों का भी अध्ययन करेगा। मानस-संकोश-तिस्ता-गंगा, गंगा-दामोदर-सुवर्णरेखा और सुवर्णरेखा-महानदी लिंक परियोजनाओं के प्रणाली अध्ययन के लिए अकादमिक संस्थानों/संगठनों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की गई है और कार्य प्रदान करने की आगे की प्रक्रिया प्रगति पर है।

विशेष समिति के सदस्यों ने जानकारी नोट की।

मद संख्या 18.3: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी हो गई / व्यवहार्यता रिपोर्ट

I. केन - बेतवा लिंक परियोजना:

कार्यसूची नोट्स में दी गई जानकारी को विशेष समिति के सदस्यों द्वारा नोट किया गया था।

महानिदेशक, राजविअ ने आगे बताया कि पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए लैंडस्केप प्रबंधन योजना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन विभाग के मार्गदर्शन में डब्ल्यूआईआई, देहरादून द्वारा की जा रही है और प्रारूप रिपोर्ट दिसंबर, 2020 तक और अंतिम रिपोर्ट मार्च, 2020 तक आने की उम्मीद है।

II. दमनगंगा - पिंजाल और पार - तापी - नर्मदा लिंक परियोजनाएं: एजेंडा नोट्स में दी गई जानकारी को विशेष समिति के सदस्यों द्वारा नोट किया गया था।

महानिदेशक, राजविअ ने सूचित किया कि पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना की डीपीआर का वर्तमान में केन्द्रीय जल आयोग में मूल्यांकन किया जा रहा है। मुख्य मुद्दा गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के बीच पीटीएन लिंक में जल बंटवारे को अंतिम रूप देना है। पीटीएन लिंक में 1330 एमसीएम के नियोजित उपयोग में बाधा डाले बिना तापी बेसिन में महाराष्ट्र को लगभग 200 एमसीएम पानी से क्षतिपूत करने की संभावना का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि इन लिंकों के लिए "वार्ता के माध्यम से आम सहमति बनाने और संबंधित राज्यों (उप-समिति - IV)" के बीच सहमति बनाने के लिए उप-समिति, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 10.12.2020 को होने वाली अपनी बैठक में इन मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगी।

III कावेरी बेसिन तक गोदावरी जल के विपथन का वैकल्पिक प्रस्ताव

कार्यसूची नोट्स में दी गई जानकारी को विशेष समिति के सदस्यों द्वारा नोट किया गया था।

इसके अतिरिक्त, महानिदेशक राजविअ ने सूचित किया कि वैकल्पिक गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी लिंक के प्रारूप डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिसमें डीपीआर के प्रारूप पर राज्यों की टिप्पणियों/सुझावों को यथासंभव उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। तत्पश्चात्, राज्यों के बीच आम सहमति बनाने और प्रारंभिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का कार्य शुरू किया जाएगा। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बेसिनों में मौजूदा जल बंटवारे के पुरस्कारों के आलोक में अधिशेष जल और जल बंटवारे के मुद्दे को आईएलआर के लिए कार्यबल की अगली बैठक में उठाया जाएगा।

मद संख्या 18.4: अंतर-राज्य लिंक प्रस्तावों की स्थिति

समिति के सदस्यों ने कार्यसूची नोट्स में दी गई जानकारी का उल्लेख किया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक के लिए निवेश स्वीकृति प्रदान की गई है। ओडिशा के नागवल्ली-वंसधारा-रुशिकुलिया अंतर-राज्यीय लिंक का पीपीआर प्रगति पर है।

मद संख्या 18.5: नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स

समिति के सदस्यों ने सूचना को नोट किया।

मद संख्या 18.6: पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का पार्वती - कालीसिंध - चंबल लिंक के साथ एकीकरण।

समिति के सदस्यों ने सूचना को नोट किया। महानिदेशक, राजविअ ने सूचित किया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पारबती, कुनो और कालीसिंध उप-बेसिनों से जल बंटवारे और जल के आदान-प्रदान का सुझाव देने और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ वैकल्पिक पीकेसी लिंक के एकीकरण का सुझाव देने के लिए सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक कार्य दल (डब्ल्यूजी) का गठन किया गया है। दोनों राज्य पार्वती और कुनो उप-बेसिनों में लगभग 131 एमसीएम पानी के आदान-प्रदान के प्रस्ताव पर सहमत हैं। इससे न केवल मध्य प्रदेश में कुनो उप-बेसिन में पानी के उपयोग में वृद्धि होगी, बल्कि ईआरसी की लंबाई को लगभग 50 किमी तक कम करने में भी मदद मिलेगी। डब्ल्यूजी की अगली बैठक में कालीसिंध में अधिशेष जल के आदान-प्रदान पर चर्चा की जाएगी। तत्पश्चात्, वैकल्पिक पीकेसी लिंक के विन्यास और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ इसके एकीकरण को अंतिम रूप देने की योजना बनाई गई है।

मद 18.7: "नदियों को आपस में जोड़ने के मुद्दे पर उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों के व्यापक मूल्यांकन के लिए उप-समिति / रिपोर्टों के लिए उप-समिति" (उप-समिति-I) और "सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन पर उप-समिति" (उप-समिति II) का विलय

महानिदेशक, राजविअ ने सूचित किया कि जल शक्ति मंत्रालय ने दिनांक 18.12.2015 को ओएम द्वारा एससीआईएलआर को अपने सौंपे गए कार्य को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए

चार उप-समितियों का गठन किया। सहमति बनाने के लिए राज्यों के साथ आम सहमति बनाने और बातचीत करने के लिए उप-समिति वर्तमान में अपने सौंपे गए कार्य को जारी रख रही है। उप-समिति-III (राजविअ का पुनर्गठन) ने पहले ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उप-समिति-I (आईएलआर के मुद्दे पर उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्टों का व्यापक मूल्यांकन) का गठन श्री बी एन नवलावाला की अध्यक्षता में किया गया था, और प्रो पीबीएस सरमा की अध्यक्षता में उप-समिति-II (**सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए** प्रणाली अध्ययन) का गठन किया गया था। श्री बी एन नवलावाला को उनके अनुरोध पर उप-समिति-I के अध्यक्ष के रूप में कार्यमुक्त कर दिया गया है। उप समिति के अध्यक्ष का पद - I रिक्त है। इस उप-समिति की आठ बैठकें अब तक आयोजित की गई है और पिछली बैठक 28.12.2017 को आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि उप-समिति-I के संदर्भों की अवधि में से कई कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं और इन दोनों उप-समितियों I और II को सौंपे गए टीओआर का ओवरलैपिंग भी है। इसलिए, इन दोनों उप-समितियों का विलय करने और **नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए एक उप-समिति का पुनर्गठन करने का** प्रस्ताव है। उन्होंने विलय की गई उप-समिति के संदर्भों की संयुक्त शर्तों का प्रस्ताव निम्नानुसार किया:

- आईएलआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए योजनाओं को तैयार करने के लिए सुझाव/सिफारिशें और आगे की कार्रवाई करना।
- राजविअ द्वारा किए गए विभिन्न प्रतिवेदनों/अध्ययनों पर विचार और मूल्यांकन करना।
- सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक आदि जैसे सभी पहलुओं पर विधिवत विचार करते हुए उपलब्ध जल संसाधनों से समाज को होने वाले लाभों को अनुकूलित करने वाले सभी संभावित विकल्पों की जांच करने के लिए व्यापक प्रणाली अध्ययनों का मूल्यांकन करना।
- विभिन्न इष्टतम की महत् वपूर्ण समीक्षा करना और वैकल्पिक कार्य योजनाओं की पहचान करना।
- विभिन्न हितधारकों के विचारों/सुझावों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना।
- आईएलआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सबसे उपयुक्त और स्वीकार्य कार्य योजना की सिफारिश करना।
- समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और जितनी बार अपेक्षित हो उतनी बार बैठक कर सकती है ताकि यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

- उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक किसी भी अन्य कार्य / अध्ययन को पूरा करना।

इस समिति का कार्यकाल आईएलआर पर कार्यबल के साथ सह-टर्मिनस होने का प्रस्ताव है।

यह प्रस्ताव किया गया था कि नई उप-समिति का गठन श्री ए बी पांड्या, महासचिव, आईसीआईडी, नई दिल्ली की अध्यक्षता में किया जाए, जिन्हें जल संसाधन प्रबंधन और नदियों को आपस में जोड़ने का व्यापक अनुभव है। नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति की संरचना निम्नानुसार प्रस्तावित है-

नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति

1.	श्री ए.बी. पांड्य, महासचिव, आईसीआईडी और पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	प्रो पी बी एस शर्मा (सेवानिवृत्त), सी ई डी ,आई आई टी , दिल्ली	सदस्य / उपाध्यक्ष
3	प्रोफेसर एस इकबाल हुसैन प्रख्यात पर्यावरण विशेषज्ञ, नई दिल्ली	सदस्य
4	श्री ए सी त्यागी, पूर्व महासचिव, आई सी आई डी , नई दिल्ली	सदस्य
5	श्री एम के सिन्हा, मूल्यांकनकर्ता, केडब्ल्यूडीटी और सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग , नई दिल्ली	सदस्य

6	प्रो कामता प्रसाद, अध्यक्ष, आई आर डी ए एस , दिल्ली	सदस्य
7	प्रो एन के गोयल, जल विज्ञान विभाग, आईआईटी रुड़की	सदस्य
8	डॉ एस मोहन, प्रोफेसर, सीईडी, आईआईटी मद्रास	सदस्य
9.	मुख्य अभियंता (मुख्यालय), राजविअ	सदस्य सचिव

विशेष समिति- आईएलआर ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इन दो उप-समितियों के विलय के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की और **नदियों को आपस में जोड़ने पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप समिति के** रूप में पुनर्गठन किया, जैसा कि ऊपर प्रस्तावित संरचना है।

मद संख्या 18.8: अध्यक्ष की अनुमति के साथ कोई अन्य मद

प्रस्तुति के बाद सचिव (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन तथा नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) ने समिति के सदस्यों से कार्यसूची मदों पर अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया।

सरकार के प्रधान सचिव का प्रतिनिधित्व करते हुए तमिलनाडु सरकार के कावेरी तकनीकी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री आर सुब्रमण्यन ने अनुरोध किया कि पेन्नार-कावेरी की लिंक नहर, गोदावरी-कावेरी लिंक प्रणाली की अंतिम कड़ी को तमिलनाडु के जरूरतमंद क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए कावेरी पर कट्टालाई लिंक बिंदु तक उच्च स्तर पर ले जाया जाना चाहिए। उन्होंने कावेरी-वैगई लिंक को जल्द से जल्द राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शुरू करने का अनुरोध किया। उन्होंने महानदी (बरमुल) - गोदावरी लिंक परियोजना के व्यवहार्यता रिपोर्ट की एक प्रति भी मांगी।

श्री आर के नगरिया, मुख्य अभियंता, जल संसाधन, छत्तीसगढ़ ने अनुरोध किया कि गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना की डीपीआर पर उनकी टिप्पणियों को पहले ही सूचित कर दिया गया है और इंद्रावती उप-बेसिन में इसके पूर्ण हिस्से का उपयोग करने के लिए राज्य की योजना है।

उन्होंने इस डीपीआर को अंतिम रूप देते समय बालाघाट परियोजना की आवश्यकता पर विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने गंगा से महानदी बेसिन तक जल विपथन के लिए लिंकों के अध्ययन के शीघ्र संकलन की भी मांग की।

सचिव (जल संसाधन विभाग), कर्नाटक सरकार ने वैकल्पिक गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना में कर्नाटक राज्य को भी जल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

केरल के प्रतिनिधि ने गोदावरी-कावेरी लिंक में अपने उचित हिस्से के लिए अनुरोध किया और कावेरी-वैगई-गुंडर लिंक परियोजना पर आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पम्बा-अचनकोविल-वैप्पर लिंक की डीपीआर तैयार करने का कार्य केरल की सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए।

तेलंगाना के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि गोदावरी-कावेरी लिंक के प्रारूप पर उनकी टिप्पणियों के उत्तर यथाशीघ्र दिए जाएं।

पुदुचेरी के प्रतिनिधि ने पुदुचेरी के लाभ के लिए गोदावरी-कावेरी लिंक में दक्षिण पेन्नायर को शंकरपरानी नदी से जोड़ने का अनुरोध किया।

आन्ध्र प्रदेश के प्रतिनिधियों ने गोदावरी-कावेरी लिंक की डीपीआर को अंतिम रूप देने से पहले उनकी टिप्पणियों पर ध्यान देने का अनुरोध किया।

सचिव, जल संसाधान विभाग,झारखंड सरकार श्री प्रशांत कुमार ने सूचित किया कि बराकर-दामोदर-सुबरनरेखा लिंक के जल संतुलन पर उनकी टिप्पणियों को सूचित कर दिया गया है और इस पर विचार किया जाना चाहिए।

हरियाणा के प्रतिनिधि ने शारदा-यमुना लिंक परियोजना की स्थिति के बारे में जानकारी ली। सचिव ने बताया कि शारदा-यमुना लिंक परियोजना वर्तमान में नेपाल में पंचेश्वर परियोजना की डीपीआर पर निर्भर है। डब्लूएपीसीओएस(I) लिमिटेड ने वर्ष 2016 में डीपीआर पूरा किया। भारत सरकार और नेपाल के बीच पहले ही कई मुद्दों को सुलझा लिया गया है। कुछ और मुद्दों को अभी सुलझाया जाना बाकी है। विदेश मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय अध्ययन को मजबूत करने के लिए नेपाल के साथ मुद्दों को सख्ती से आगे बढ़ा रहे हैं।

ओडिशा सरकार के जल संसाधान विभाग के मुख्य अभियंता श्री डी के सामल ने सूचित किया कि गोदावरी-कावेरी लिंक पर उनकी टिप्पणियां राजविअ को दे दी गई हैं। उन्होंने बताया कि महानदी (बरमुल) - गोदावरी लिंक परियोजना के व्यवहार्यता रिपोर्ट पर शीघ्र ही टिप्पणियां भेजी जाएंगी।

श्री संजय बेलसरे, मुख्य अभियंता और संयुक्त सचिव, जल संसाधान विभाग , महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2021 तक दो अंतर-राज्यीय लिंकों अर्थात् दमनगंगा - वैतरणा - गोदावरी और दमनगंगा (एकदारे) - गोदावरी लिंक परियोजना की डीपीआर को पूरा करने का अनुरोध किया।

अंत में, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने अपने समापन भाषण में सभी प्रतिभागियों की उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए सराहना की और आश्वासन दिया कि राज्यों के विचारों/टिप्पणियों पर विधिवत विचार किया जाएगा और आईएलआर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

बैठक का समापन अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।

******

अनुलग्नक - I

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 07 दिसंबर, 2020 को आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति की 18 वीं बैठक के सदस्यों, विशेष आमंत्रितों और प्रतिभागियों की सूची।

1	श्री रतन लाल कटारिया, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	डॉ महेन्द्र सिंह, माननीय मंत्री (जल शक्ति), उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ	सदस्य
3	श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री (जल संसाधान विभाग), बिहार सरकार ,पटना	सदस्य
4	श्री उदयलाल अंजना, माननीय मंत्री (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना), राजस्थान सरकार ,जयपुर	सदस्य
5	श्री राम किशोर कावरे, माननीय जल संसाधन राज्य मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल	सदस्य
6	श्री यू पी सिंह, सचिव, जल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन तथा नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार,	सदस्य

	नई दिल्ली	
7	श्री श्रीराम विदेरे, सलाहकार, माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन तथा नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार और अध्यक्ष, आईएलआर के लिए टास्क फोर्स नई दिल्ली	सदस्य
8	श्री एस.के हलदर, सदस्य (डब्लू पी और पी), केंद्र जल आयोग, नई दिल्ली	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व करते हुए
9	श्री एस एन मिश्रा, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार भोपाल	सदस्य

10	श्री राकेश सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार बेंगलुरु	सदस्य
11	श्री टी. वेंकटेश, अपर मुख्य सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ	सदस्य

12	श्री देवेंदर सिंह, अपर मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग, हरियाणा सरकार पंचकुला	सदस्य
13	डॉ के मणिवासन, प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग, तमिलनाडु सरकार ,चेन्नई	सदस्य
14	श्री संजीव हंस, सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार ,पटना	सदस्य
15	श्री प्रशांत कुमार, सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार रांची	सदस्य
16	श्री नवीन महाजन, सचिव जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार ,जयपुर	सदस्य
17	श्री अविनाश चम्पावत, सचिव, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर	सदस्य
18	श्री अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष और सीटीओ, परमर्ष इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड नागपुर (महाराष्ट्र)	सदस्य
19	श्री पी के अग्रवाल, मुख्य सलाहकार (लागत), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य

20	श्री जिगमेट तकपा, संयुक्त सचिव, पर्यावरण तथा वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली	सचिव ,पर्यावरण तथा वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हुए।
21	श्री नारायण रेड्डी, मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, विजयवाड़ा	प्रधान सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
22	श्री सी मुरलीधर, मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, तेलंगाना सरकार	प्रमुख सचिव, जल संसाधान विभाग तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करते हुए
23	श्री एलेक्स वर्गीज, मुख्य अभियंता (परियोजना), जल संसाधन विभाग, केरल सरकार तिरुवंतपुरम	अपर मुख्य सचिव, जल संसाधान विभाग , केरल सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
24	श्री डी के सामल, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर	प्रमुख सचिव, ओडिशा सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
25	डॉ संजय एम बालसरे, मुख्य अभियंता और संयुक्त सचिव (जल संसाधान विभाग), महाराष्ट्र सरकार, मुंबई	प्रधान सचिव, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
26	श्री एम आर पटेल,	प्रधान सचिव, गुजरात

	मुख्य अभियंता और अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार, गांधीनगर	सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
27	श्री एस शेखरन, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग, पुडुचेरी सरकार, पुडुचेरी	प्रधान सचिव पुडुचेरी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
28	श्री एम गोपालकृष्णन, पूर्व सचिव, आई सी आई डी , बंगलुरु	विशेष आमंत्रित सदस्य
29	प्रो पी बी एस शर्मा (सेवानिवृत्त) सीईडी, आईआईटी दिल्ली और आईएलआर के लिए विशेष समिति की उप समिति-II के अध्यक्ष नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित सदस्य
30	श्री ए डी मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित सदस्य
31	श्री भोपाल सिंह, महानिदेशक, राजविअ, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

	जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन तथा नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, के

	अधिकारी
32	श्री जगमोहन गुप्ता, संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार, जल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन तथा नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,भारत सरकार, नई दिल्ली
33	श्री संजय अवस्थी, संयुक्त सचिव (पीपी एंड आरडी), जल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन तथा नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली
34	श्री के वोहरा, आयुक्त (एसपीआर), जल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन तथा नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली
35	श्री विवेक पाल, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (पीपी एंड आरडी), जल संसाधन तथा नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली
	केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी
36	श्री जी सी पति अध्यक्ष, केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, फरीदाबाद
37	श्री विजय सरन, मुख्य अभियंता (आईएमओ), केंद्रीय जल आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली
38	श्री जे एस बावा, मुख्य अभियंता, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण,

	विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
39	श्री आर ए एस पटेल, उपायुक्त (कृषि और किसान कल्याण), एमओएसी एवं एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार, नई दिल्ली
40	श्री संदीप शर्मा, सहायक वन महानिरीक्षक, पर्यावरण तथा वन और जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, नई दिल्ली
41	श्री बी पी यादव, प्रधान (हयड्रोमेट), भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी), नई दिल्ली
42	श्री शांतनु चौधरी, निर्देशक राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद
43	डॉ नीलिमा आलम, वैज्ञानिक 'ई', प्रौद्योगिकी मिशन प्रभाग, डीएसटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली

	राज्य सरकार के अधिकारी
44	श्री अनिल कुमार, सचिव, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार ,बंगलुरु
45	श्री अनिल गर्ग, सचिव, जल शक्ति मंत्रालय

	सिंचाई और जल संसाधान विभाग ,उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ
46	श्री राकेश चौहान मुख्य अभियंता, सिंचाई और जल संसाधान विभाग हरियाणा सरकार, पंचकुला
47	श्री नागेश मिश्र, मुख्य अभियंता (आई / सी), डब्ल्यूआरडी, झारखंड सरकार, रांची
48	श्री आर सुब्रमण्यन, अध्यक्ष, कावेरी तकनीकी प्रकोष्ठ - सह - आई एस डब्लू डब्लू , तमिलनाडु सरकार, चेन्नई
49	श्री आर के नगरिया, मुख्य अभियंता (महानदी परियोजना), जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर
50	श्री रवि सोलंकी, अपर मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
51	श्री जे के त्रिवेदी, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार गांधीनगर
52	श्री के वीरसेल्वम, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पुडुचेरी सरकार पुडुचेरी

53	श्री एन बालासुब्रमण्यम, अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, पुडुचेरी सरकार पुडुचेरी
	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ) के अधिकारी
54	श्री आर के जैन, मुख्य अभियंता (मुख्यालय), नई दिल्ली

55	डॉ आर एन शंखुआ, मुख्य अभियंता (दक्षिण), हैदराबाद
56	श्री के पी गुप्ता, मुख्य अभियंता (उत्तर), लखनऊ
57	श्री मुजफ्फर अहमद, निदेशक (तकनीकी), नई दिल्ली
58	श्री अफरोज आलम, अधीक्षण अभियंता, नई दिल्ली
59	श्री राकेश कुमार गुप्ता, उप निदेशक,

	नई दिल्ली
60	श्री एस आर माहौर, उप निदेशक, नई दिल्ली
61	श्री अनिल कुमार जैन, उप निदेशक (एस सी आई एल आर), नई दिल्ली
62	श्री आर बालकृष्णन, सहायक निदेशक, नई दिल्ली